



भारत सरकार, खान मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES
भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायपुर
INDIAN BUREAU OF MINES, OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES,
RAIPUR



फोन- 2282530-0771 2285590/ / 95, ईमेल - ro.raipur@ibm.gov.in

File no- CHG//DNT/TIN-04/60CHG03004 / 261

दिनांक - 09.09.2021

प्रेषित- Mr. Vimal Luniya, Director,
M/S Precious Minerals and Smelting
Ltd., Semi urban Industrial area,
Frezerpur, P.O. Jagdalpur, Dist. Bastar,
Chhattisgarh

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित आपकी **Bade Bacheli Tin ore Mine** (Area 36.067 Ha.) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-

महोदय

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 25.08.2021 को अधोहस्तक्षरी द्वारा आपकी उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
11(1)	(i) No exploration has been carried out against proposal of vertical core drilling of 13 boreholes during the year 2019-20 . (ii) The waste dump has not been protected by garland drainage against the proposal.
31(4)	Plans and sections required under the Rule are not maintained up to date within 12 months.
45 (5) (c)	Following information are furnished incorrectly in submitted Annual Return for the year 2020-2021: (i) Surface area utilization. (ii) Mineral reserves (iii) Recovery quantity from smelter plant is not furnished although grade is furnished.
48	No record of boreholes in Form J maintained.

- इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवम, 45(7)(क) के अंतर्गत
(क) खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।
- अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशिघ्र सुधार करे एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय
09/09/2021
(D.Dash)

Senior Mining Geologist
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- By email

- खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
- संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
- उप-महानिदेशक सांख्यिकी, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।

जारी किया गया/ISSUED
13/09/21